



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275172
CG-DL-E-04082026-275172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4146]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948

No. 4146]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4322(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति' (पैन: AAAGO0158G), जो कि ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है, को इस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है यथा:

- (क) उम्मीदवारों से एकत्र किया गया परीक्षा शुल्क;
- (ख) काउंसलिंग और आवेदन प्रसंस्करण शुल्क; तथा
- (ग) बैंक जमा पर व्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति –

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा

(ग) की गतिविधियां और विविनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में विविनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के साथ पठित धारा 11 के अंतर्गत दी गयी छूट वापस ले ली जायेगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जायेगी।

3. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 110 /2026/ फा.सं. 300196/39/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2026.

S.O. 4322(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with Section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Odisha Joint Entrance Examination Committee’ (PAN: AAAGO0158G), a body established by the Government of Odisha, in respect of the following specified income arising to the said body, namely: -

- (a) Examination fees collected from candidates;
- (b) Counselling and application processing fees; and
- (c) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Odisha Joint Entrance Examination Committee –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall file return of income in accordance with the provision of 263(9)(c)(xiii) of the said Act, 2025; and
- (c) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

3. This notification shall be applicable for tax years 2026-27 to 2029-30.

[Notification No. 110 /2026/ F. No. 300196/39/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.